



2026:AHC-LKO:7524-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 12439 सन 2025

अजय कुमार

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व लखनऊ
एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	प्रमोद कुमार यादव
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. यह याचिका आज पांचवीं बार सूचीबद्ध की गई है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने लिखित निर्देश दिए हैं कि निस्संदेह याचिकाकर्ता गाटा संख्या 1082/1 पर स्थित तालाब के मत्स्य पालन अधिकारों के निस्तारण हेतु आयोजित नीलामी में उच्चतम बोलीदाता था, लेकिन बोली राशि निर्धारित समय पर जमा नहीं की गई, इसलिए बोली स्वीकार/पुष्टि नहीं की गई है।
4. हमें इस मामले में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं दिखता।
5. यदि कोई कारण हो तो याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करे या उपलब्ध अन्य उपाय अपनाए।
6. निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

फरवरी 2, 2026

एम.वी.एस./-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।